ईमेलः—revenuedlr7@gmail.com

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-7) विभाग

क्रमांकः प.3(637)राज-7/2023 जयपुर, दिनांकः- 6/2/24

विषयः- एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15797/2023 विशम्भर दयाल व अन्य बनाम जगन्नाथ व अन्य में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2023 की अनुपालना में राजस्व मण्डल/अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में वर्षों से लम्बित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण बाबत् मानक संचालन प्रक्रियायें (Standard Operation procedures) ।

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15797/2023 विशम्भर दयाल व अन्य बनाम जगन्नाथ व अन्य में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2023 द्वारा राजस्व मण्डल/अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में वर्षों से लम्बित मूल प्रकरणों/अपीलीय प्रकरणों के त्वरित निस्तारण बाबत निर्देश जारी किये गये है। उक्त निर्णय की अनुपालना में राज्य सरकार की ओर से अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों द्वारा न्यायिक प्रक्रिया में लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में निम्न मानक संचालन प्रक्रियायें (Standard Operation procedures) एतद्द्वारा जारी किये जाते हैः-

1 10 वर्ष से अधिक पुराने लम्बित प्रकरणों को **"Oldest cases" की श्रेणी** में रखा जाकर त्वरित निस्तारण किया जावे।

2 ऐसे "Oldest cases" की श्रेणी की पत्रावलियां **लाल फाईल कवर (Red File Cover)** में संधारित की जावे।

3 सभी अधीनस्थ न्यायालय के 05 वर्ष से पुराने प्रकरणों की आदेशिका पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं की हस्तलेखनी द्वारा लिखी जावेगी।

4 न्यायालयों में लम्बित वादों/अपीलों की समयावधि के आधार पर सूची अर्थात 5 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से अधिक, 20 वर्ष से अधिक बनाई जाकर पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह जिला कलक्टर को भिजवाई जावेगी एवं जिला कलक्टर ऐसी सूची की समीक्षा कर लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण बाबत उचित निर्देश अधीनस्थ राजस्व न्यायालय को जारी करेंगे एवं जिला कलक्टर द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही की समीक्षा संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली एरियर रिव्यू समिति एवं राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर की जावेगी।

5 सम्मन की तामील/लिखित कथन प्रस्तुत किये जाने एवं अभिकथनों में संशोधन हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में विहित समयावधि का कठोरता से पालन करें।

6 न्यायालय वादों का निस्तारण वैकल्पिक वाद निस्तारण अन्तर्गत धारा 89 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के माध्यम से करवाये जाने को प्रोत्साहित करें।

7 न्यायालय अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किये जाने में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें एवं जिला कलक्टर के स्तर से इस संबंध में विशेष रूप से समीक्षा की जावे।

8 मौखिक बहस तुरन्त एवं निरंतर सुनी जाकर शीघ्र निर्णय पारित किया जावेगा।

9 सप्ताह में 03 दिवस सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक जिला कलक्टर/अतिरिक्त जिला कलक्टर/जिला कलक्टर नियमित रूप से मुकदमों की सुनवाई करेंगे तथा जिला कलक्टर यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त 03 दिवसीय अवधि के दौरान न्यायालय समय में ऐसे अधिकारियों की अन्य निरीक्षण/भ्रमण या प्रभारी के रूप में अन्य दायित्व अधिरोपित नहीं कर न्यायालय की कार्यवाही निर्बाध रूप से संचालित करावें।

10 प्रायः यह देखने में आया है कि अनेक प्रकरण विवाद्यक विरचित किये जाने, बहस या निर्णय पारित किये जाने के स्तर पर लम्बित है जो कि पूर्णतः न्यायालय स्तर से की जाने वाली कार्यवाही है। अतः ऐसे प्रकरणों में बिना कोई देरी या स्थगन दिये तत्काल कार्यवाही कर निस्तारित करावें।

11 राज्य सरकार के हित विपरीत आदेश पारित किये जाने से पूर्व न्यायालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि राजकीय अधिवक्ता/सरकारी पैरोकार एवं प्रकरण के प्रभारी अधिकारी सुनवाई में उपस्थित होंवे एवं उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे।

12 न्यायालय अनावश्यक स्थगन से बचें एवं स्थगन के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 17 में विहित प्रावधानों की पालना करें। 10 वर्ष से पुराने प्रकरणों में स्थगन **दुर्लभ से दुर्लभतम स्थिति में** ही प्रद्त किया जावे जिसका न्यायालय आदेशिका में कारण उल्लेख किया जावे एवं ऐसे प्रकरणों में आगामी तिथि 01 सप्ताह के भीतर प्रद्त की जावे।

13 सभी अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों की समीक्षा Generalized Court Management System Portal के माध्यम से राजस्व मण्डल एवं राजस्व विभाग पाक्षिक/मासिक रूप से की जावेगी। GCMS Portal को अद्यतन रखा जावे।

14 अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति अनिवार्य रूप से जिला कलक्टर/निबंधक, राजस्व मण्डल को यथाशीघ्र प्रेषित की जावेगी, जिससे प्रकरण में राजहित में उचित कार्यवाही की जा सके।

15 अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251A एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128, 131 एवं 136 के प्रकरणों का पृथक-पृथक रजिस्टर तैयार कर मासिक रूप से तहसीलदार व पटवारियों के साथ भी समीक्षा की जावे।

16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के संबंध में तहसीलदार के द्वारा विभाजन प्रस्ताव(कुरेजात रिपोर्ट) समय पर न्यायालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

17 राज्य सरकार के प्रति अनुतोष संबंधी प्रकरणों पर गुलाबी या विशेष रंग का फाईल कवर होना चाहिये।

18 पीठासीन अधिकारी के द्वारा प्रस्तुतीकरण के समय ही न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता सुसंगत धारा, वाद/प्रार्थना–पत्र का प्रकार सुनिश्चित कर ही प्रकरण दर्ज किया जावे।

19 एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15797/2023 विश्म्भर दयाल व अन्य बनाम जगन्नाथ व अन्य में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2023 के पैरा 28 पर प्रद्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

20 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4296/2023 यशपाल जैन बनाम सुशीला देवी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2023 में जारी निर्देश संख्या 1 से 10 की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे।

(अपर्णा अरोरा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. विशिष्ठ सहायक, माननीय राजस्व मंत्री।
02. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
03. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व।
04. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग।
05. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
06. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
07. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
08. समस्त अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
09. समस्त राजस्व अपील प्राधिकारी/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार मार्फत संबंधित जिला कलक्टर।

अतिरिक्त मुख्य सचिव